न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 85/2019

अपीलान्ट्स
शर्मिला सिंघवी पत्नि श्री मनोज सिंघवी, जाति जैन, निवासी बी/26, कमला नेहरू नगर, जोधपुर ।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
1. अग्रवाल पोलिसेक्स लिमिटेड, पंजीबद्ध पता ई–649, एम.आई.ए., द्वितीय फैज, बासनी, जोधपुर जरिये अधिकृत निदेशक मंजू अग्रवाल पत्नि स्व0 श्री सुशील अग्रवाल, ठिकाना बी–1, शास्त्री नगर, जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.2019 जो तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या क्रमांक/भू.अ./2019/2627 में पारित किया गया ।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक तामिल बावजूद अनुपस्थिति ।

–: आदेश :– दिनांक :– 12.12.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.09.2019 जो न्यायालय श्रीमान तहसीलदार लूणी, नारायणलाल सुथार (आर0टी0एस0) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या क्रमांक/भू.अ./2019/2627 में पारित किया गया हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की हैं जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम निम्बला, तहसील, लूणी के खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि वाके ग्राम निम्बला, तहसील, लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं जिस पर प्रार्थीनी वक्त खरीद से उक्त कृषि भूमि पर काबिज हैं । प्रार्थीनी ने उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से अग्रवाल पॉलीसेक्स लि0 के तत्कालीन डायरेक्टर श्री अभिलव अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री सुशील कुमारजी, से दिनांक 03.11.2017 को खरीद की जिस बेचाननामें का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय लूणी में दिनांक 03.11.2017 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 241, पृष्ठ संख्या 81, क्रम संख्या 201703063102068 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त बेचाननामें की फोटोप्रति पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु

दी गयी लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज करने से इन्कार कर दिया जबकि उक्त खसरें के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि ग्राम निम्बला, तहसील लूणी के खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा का बेचाननामें के आधार पर प्रार्थीनी/अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को आदेश दिया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को संलग्न दस्तावेज की जॉच कर मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया । तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीनी/अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र पर यह आदेश पारित किया कि उक्त खसरान की भूमि के सम्बन्ध में खातेदार अग्रवाल पोलीसेक्स लिमिटेड द्वारा बेचाननामा प्रार्थीनी शर्मिला सिंघवी के पक्ष में निष्पादित किया गया हैं उक्त बेचाननामें को निरस्त करने हेतु न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर में वाद दायर किया हुआ हैं एवं न्यायालय का स्थगन हैं अतः नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक को विधिवत् नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट अभिभाषक ने मौखिक बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्राम निम्बला, तहसील लूणी के खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि क्रय की हैं। उक्त बेचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का से रेकर्ड एवं मौका की वास्तुस्थिति रिपोर्ट मंगवायी गयी। उक्त बेचाननामें को निरस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर में वाद प्रस्तुत किया हुआ हैं तथा उसके साथ ही अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें केवल मात्र यह अन्तरिम आदेश जारी किया हुआ हैं कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को आगे बेचान हस्तान्तरण नहीं करें लेकिन उक्त स्थगन आदेश का अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानी व्याख्या करते हुए नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता का आदेश पारित कर दिया जबकि नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने बाबत् किसी प्रकार का कोई स्थगन जारी किया हुआ नहीं हैं एवं पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से ही जमाबन्दी में पेन्सीली नोट नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने का दर्ज किया हैं जबकि ऐसा कोई आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि माफिक बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया

तथा अपीलान्ट की बहस पर भी मनन किया । इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह हैं कि ग्राम निम्बला तहसील लूणी के खसरा संख्या 69/2 की कृषि भूमि रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा का बेचान अपीलान्ट के पक्ष में किया हुआ हैं जिसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं हुआ हैं। उक्त बेचाननामें को निरस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर में वाद दायर किया एवं साथ ही आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हैं जिस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.01.2018 को अन्तरिम स्थगन आदेश केवल मात्र इस आशय का जारी किया हुआ हैं कि अप्रार्थी संख्या एक व दो विवादग्रस्त जायदाद को किसी अन्य को विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करें। जमाबन्दी में जो पेन्सिली नोट अंकित हैं वह मनमर्जी से ही नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने का अंकित किया हुआ हैं जो कि गलत हैं जबकि नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने का कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ ही नहीं हैं ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने का कोई स्थगन आदेश नहीं पाया जाता हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि ग्राम निम्बला, तहसील, लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा का माफिक बेचाननामा दिनांक 03.11.2017 के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करें तथा जमाबन्दी में जो पेन्सिली नोट नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने का अंकित हैं उसके स्थान पर आगे विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करने का नोट अंकित किया जावें । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.12.30 18:44:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: